राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री कालूराम खोड आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 11/2018
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 09.02.2018 निर्णय दिनांकः 06.06.2018

अनवान

1– श्री शिवनारायण पिता गणेश जाति लौहार निवासी उलपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
......................प्रार्थी

बनाम

1– श्री मांगीलाल पिता किशना जाति गाडरी निवासी रातडिया का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2– श्री हीरा पिता मांगीलाल जाति गाडरी निवासी रातडिया का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
3– श्री हकमा पिता मांगीलाल जाति गाडरी निवासी रातडिया का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
4– श्री भैरू पिता मांगीलाल जाति गाडरी निवासी रातडिया का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
......................विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढ़ी

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी – श्री मुकेश देवपुरा
अधिवक्ता विपक्षी – नील

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उलपुरा पटवार हल्का झौर तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित हैं प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट 'क' में वर्णित जिनके खाता संख्या नया 213 व पुराना 187 पर अंकित आराजी नम्बर 656 रकबा 0.6400 हैक्टर, आराजी नम्बर 676 रकबा 0.3200 हैक्टर, आराजी नम्बर 678 रकबा 0.2100 हैक्टर, आराजी नम्बर 680 रकबा 0.3600 हैक्टर, आराजी नम्बर 681 रकबा 0.2100 हैक्टर, आराजी नम्बर 682 रकबा 0.0800 हैक्टर, आराजी नम्बर 700 रकबा 0.5200 हैक्टर, आराजी नम्बर 712 रकबा 1.0600 हैक्टर, आराजी नम्बर 713 रकबा 0.4900 हैक्टर, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.1700 हैक्टर, आराजी नम्बर 719 रकबा 0.4700 हैक्टर, आराजी नम्बर 720 रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी नम्बर 722 रकबा 0.4600 हैक्टर, आराजी नम्बर 725 रकबा 0.1300 हैक्टर, आराजी नम्बर 726 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नम्बर 727 रकबा 0.0700 हैक्टर, आराजी नम्बर 728 रकबा 0.1200 हैक्टर, आराजी नम्बर 731 रकबा 0.5600 हैक्टर, आराजी नम्बर 784 रकबा 0.4500 हैक्टर, कुल किता 19 कुल रकबा 6.4500 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज है। विपक्षीगण एवं उनके परिवार वालों के मन में बदयान्ति आ रही हैं और लगातार प्रार्थी को परेशान कर रहें हैं और प्रार्थी की भूमियों में अनुचित रूच से हस्तक्षेप करने को आमादा हैं। जबकि प्रार्थी कई मर्तबा अपनी भूमियों का सीमाज्ञान करा चुका हैं एवं प्रार्थी अपनी भूमि पर स्वतन्त्र रूप से खातेदार होकर काबिज हैं। फिर भी विपक्षीगण प्रार्थी को अनुचित रूप से परेशान कर रहे हैं एवं बार–बार लडाई झगड़ा करने को उतारू हो रहे हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वर्णित कृषि आराजियात का विपक्षीगण की मौजुदगी में सीमाबन्दी कर नियमानुसार पत्थरगढी कराने का आदेश प्रदान करावें।

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। दौराने कार्यवाही पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार–2018" केम्प झौर में प्रस्तुत हुई । विपक्षी ने लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 111 एलआरएक्ट स्वीकार किये जाने बाबत् पत्रावली की आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर अंकित किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजता का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। इस बाबत् जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रस्तुत भी किया गया एंव अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर विरोधाभास कोई कथन नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य साबित हैं।

:: **आदेश** ::

उक्त विवेचन अनुसार लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट झौर में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एंव ग्राम उलपुरा पटवार हल्का झौर तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित हैं जिनका अंकन चालु जमाबन्दी सवंत 2070–2073 के खाता संख्या नया 213 व पुराना 187 पर कुल किता 19 कुल रकबा 6.4500 हैक्टर भूमि मय पडौसीयान के मध्य पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त पत्थरगढी हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार आमेट को आदेशित किये जाता है कि उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार आमेट को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार–2018" केम्प ग्राम पंचायत झौर में आदेश मे सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

Scanned by CamScanner